राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:–प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 20.11.2020

–: आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के 21 जिलों में आम चुनाव नवम्बर – दिसम्बर, 2020 में करवाये जा रहे हैं (प्रति संलग्न है)। मतदान चार चरणों में सम्पन्न होगा। अतः प्रथम चरण मतदान दिवस दिनांक 23.11.2020(सोमवार), द्वितीय चरण मतदान दिवस दिनांक 27.11.2020(शुक्रवार), तृतीय चरण मतदान दिवस दिनांक 01.12.2020 (मंगलवार) चतुर्थ चरण मतदान दिवस दिनांक 01.12.2020 (मंगलवार), को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें, वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकाल में नहीं जायेंगे।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,
19/11/2020
(डॉ. मोहन लाल यादव)
विशिष्ट शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ 7(1)(1)पंचा./रा.नि.आ./2020/10109

दिनांक : 20/11/2020.

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव